

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 2-2022/Ext.]

CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 4, 2022 (PAUSA 14, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 जनवरी, 2022

संख्या 02/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36 / एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, अनुसूची में –

- (i) क्रम संख्या 22 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, ''0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी,
- (ii) क्रम संख्या 43 ख के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "सिब्ज़यां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:
- (iii) क्रम संख्या 49 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताजे, जैसे बादाम, हेजलनट्स या फिलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट, चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स ताजे, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हो या नहीं" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।
- (iv) क्रम संख्या 97 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः —

''97क	2009 89 90	टेंडर नारियल जल, उनसे भिन्न जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हैं और,–
		(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
		(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो या जिस पर किसी विधि के न्यायालय
		में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी
		अधिकार उपलब्ध हो (अनुबंध 1 में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए,
		उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या
		प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो) ";

(v) क्रम संख्या 101 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा।

- (vi) क्रम संख्या 141 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान में प्रविष्टि के स्थान पर, ''8807'' प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- 2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 4th January, 2022

No. 02/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Schedule,-

- (i) against serial number 22, for the existing entry in column (2), the entry "0303, 0304, 0305, 0306, 0307,0308,0309" shall be substituted;
- (ii) against serial number 43B, in column (3), for the existing entry, the entry "Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption" shall be substituted;
- (iii) against serial number 49, in column (3), for the existing entry, the entry "Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled" shall be substituted;
- (iv) after serial number 97 and entries there against, the following serial number and entries there against shall be inserted, namely: -

"97A	2009	Tender coconut water other than those put up in unit container and, -
	89 90	(a) bearing a registered brand name; or
		(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE I]";

- (v) serial number 101 and the entries there against shall be omitted;
- (vi) against serial number 141, for the existing entry in column (2), the entry "8807" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

9443—C.S.—H.G.P., Pkl.